

ईट-भट्ठों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु फॉर्म-1 भरने हेतु आवश्यक अनुदेश

I. सामान्य सूचना

आवेदन क्रमांक	अंकित किए जाने वाली सूचना के संबंध में अनुदेश
1.	इकाई का नाम अंकित करें
2.	अनुसूची 1(ए.) अंकित करें
3.	इकाई की क्षमता अंकित की जाए। जैसे कितने एकड़/हेक्टेयर/ कितने मो. ³ मिट्टी का खनन होना है, इसे अंकित किया जाय।
4.	इकाई का विस्तारीकरण है या नया स्थापना है इसे अंकित करें।
5.	वर्तमान क्षमता/क्षेत्रफल अंकित करें। अगर पुराने खनन क्षेत्र विस्तारीकरण है तो इसे अंकित करें अथवा "लागू नहीं" अंकित करें।
6.	'बी' अंकित करें।
7.	ईट भट्ठों के लिए विशेष रूप से शर्तें चिन्हित किए गए हैं इसलिये इस कंडिका में "नहीं" अंकित करे ।
8.	इसमें भी "नहीं" अंकित करें।
9.	स्थल का जी.पी.एस. कोडिनेट (GPS Cordinate) के साथ खाता/खेसरा/ गांव/जिला की सूचना अंकित करें। GPS Cordinate प्राप्त करने में आप अपने जिला खनन कार्यालय से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
10.	स्थल से निकटवर्ती रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा की सूचना दें।
11.	स्थल से निकटतम जिला शहर की दूरी अंकित करें।
12.	स्थल से निकटतम ग्राम पंचायत/जिला परिषद/आदि की सूचना अंकित करें।
13.	इकाई के स्वामी का नाम अंकित करें।
14.	पता अंकित करें।
15.	पत्राचार का पता अंकित करें ।
16.	"लागू नहीं " अंकित करें।
17.	"लागू नहीं " अंकित करें।
18.	"लागू नहीं " अंकित करें।
19.	"लागू नहीं " अंकित करें।
20.	"लागू नहीं " अंकित करें।
21.	"लागू नहीं " अंकित करें।
22.	यदि खनन वन क्षेत्र/आश्रयणी/नेशनल पार्क के सीमा के 1K.M. के अंदर है तो "हां" अंकित करें अन्यथा "नहीं" अंकित करें।
23.	चूंकि खनन कार्य वन क्षेत्र में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए "नहीं" अंकित करें।
24.	यदि खनन क्षेत्र के जमीन के संबंध में किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित हो, तो उसकी विवरणी अंकित करें अन्यथा "लागू नहीं" अंकित करें।

II. Activity (क्रियाकलाप)

1. Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, etc.)

आवेदन क्रमांक	अंकित किए जाने वाली सूचना के संबंध में अनुदेश
1.1	“खनन क्षेत्र का उपयोग मात्र मिट्टी के उपयोग हेतु किया जाएगा। क्षेत्र में कोई स्थायी बदलाव नहीं किया जाएगा।” अंकित करें
1.2	खनन क्षेत्र में कोई पेड़/स्थायी निर्माण को हटाया जाना हो तो अंकित करें अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
1.3	“नहीं” अंकित करें।
1.4	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.5	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.6	यदि कोई निर्माण कार्य तोड़ा जाना हो, तो अंकित करें अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
1.7	खनन कार्य के दौरान मजदूरों के निवास या अन्य उद्देश्य हेतु यदि अस्थायी निर्माण होना है तो ऐसा उल्लेख करे अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
1.8	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.9	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.10	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.11	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.12	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.13	खनन कार्य यांत्रिक अथवा गैर-यांत्रिक विधि से किया जाएगा जो “लागू हो” अंकित करें।
1.14	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.15	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.16	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.17	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.18	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.19	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.20	यदि उक्त कार्य नहीं किया जाना हो तो “लागू नहीं” अंकित करें।
1.21	यदि खनन कार्य में उक्त कार्य नहीं होना है तो “लागू नहीं” अंकित करें।
1.22	यदि खनन क्षेत्र में कोई जल स्रोत आदि न हो तो “लागू नहीं” अंकित करें।
1.23	सामान्यतः खनन कार्य में इसकी आवश्यकता नहीं होती। अतः “लागू नहीं” अंकित करें।
1.24	खनन से जल प्रवाह अथवा जल स्रोत में कोई बदलाव नहीं होना है तो “लागू नहीं” अंकित करें।
1.25	खनन कार्य हेतु लोगों/सामानों आदि के परिवहन की सूचना अंकित करें।
1.26	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.27	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.28	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.29	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.30	“लागू नहीं” अंकित करें।
1.31	“लागू नहीं” अंकित करें।

2. Use of Natural resources for construction or operation of the Project (such as land, water materials or energy, especially any resources which are non-renewable) or in short supply)

आवेदन क्रमांक	अंकित किए जाने वाली सूचना के संबंध में अनुदेश
2.1	यदि खनन कार्य खेती के जमीन अथवा अविकसित भूमि पर होना है तो तदनुसार अंकित करें
2.2	“लागू नहीं” अंकित करें।
2.3	“लागू नहीं” अंकित करें।
2.4	“लागू नहीं” अंकित करें।
2.5	“लागू नहीं” अंकित करें।
2.6	“लागू नहीं” अंकित करें।
2.7	“लागू नहीं” अंकित करें।

3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health.

आवेदन क्रमांक	अंकित किए जाने वाली सूचना के संबंध में अनुदेश
3.1	“लागू नहीं” अंकित करें।
3.2	“लागू नहीं” अंकित करें।
3.3	“योजना से लोगों के जन-जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा”, अंकित किया जा सकता है।
3.4	“लागू नहीं” अंकित करें।
3.5	“मिट्टी के परिवहन से परेशानी लोगों को हो सकती है, जिसका पूर्ण ख्याल रखा जायगा ताकि किसी को असुविधा न हो,” अंकित किया जा सकता है।

4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning (MT/month)

आवेदन क्रमांक	अंकित किए जाने वाली सूचना के संबंध में अनुदेश
4.1	“लगभग 10% मिट्टी की उपरी सतह के रूप में खनन waste बनेगा जिसे सुरक्षित रखते हुए पौधे लगाए जायेंगे।” अंकित करें।
4.2	“लागू नहीं” अंकित करें ।
4.3	“लागू नहीं” अंकित करें ।
4.4	“लागू नहीं” अंकित करें।
4.5	“लागू नहीं” अंकित करें।
4.6	“लागू नहीं” अंकित करें।
4.7	“लागू नहीं” अंकित करें।
4.8	“लागू नहीं” अंकित करें।
4.9	“लागू नहीं” अंकित करें।
4.10	“लागू नहीं” अंकित करें।
4.11	“लागू नहीं” अंकित करें।

5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air(Kg/hr)

आवेदन क्रमांक	अंकित किए जाने वाली सूचना के संबंध में अनुदेश
5.1	“लागू नहीं” अंकित करें।
5.2	“खनन से कुछ मात्रा में Dust उड़ेगा” अंकित करें।
5.3	“परिवहन में धूलकण उड़ने की कुछ संभावना है। मिट्टी का परिवहन ढके हुए वाहन से किया जा जायेगा,” अंकित करें ।
5.4	“लागू नहीं” अंकित करें।
5.5	“लागू नहीं” अंकित करें।
5.6	“लागू नहीं” अंकित करें।
5.7	“लागू नहीं” अंकित करें।
5.8	“लागू नहीं” अंकित करें।

6. Generation of Noise and Vibration and Emission of Light and Heat:

आवेदन क्रमांक	अंकित किए जाने वाली सूचना के संबंध में अनुदेश
6.1	यदि खनन मशीन से किया जाना है तो शोर कुछ हद तक होने की संभावना है,तो तदनुसार अंकित करें । यदि गैर-यात्रिक खनन होना है तो “लागू नहीं” अंकित करें।
6.2	“लागू नहीं” अंकित करें।
6.3	“लागू नहीं” अंकित करें।
6.4	“लागू नहीं” अंकित करें।
6.5	“लागू नहीं” अंकित करें।
6.6	“लागू नहीं” अंकित करें।
6.7	“लागू नहीं” अंकित करें।

7. Risks of contamination of land or water from release of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, groundwater, coastal waters or the sea:

आवेदन क्रमांक	अंकित किए जाने वाली सूचना के संबंध में अनुदेश
7.1	“लागू नहीं” अंकित करें।
7.2	“लागू नहीं” अंकित करें।
7.3	“लागू नहीं” अंकित करें।
7.4	“लागू नहीं” अंकित करें।
7.5	“लागू नहीं” अंकित करें।

8. Risks of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment.

आवेदन क्रमांक	अंकित किए जाने वाली सूचना के संबंध में अनुदेश
8.1	“नहीं” अंकित करें।
8.2	“नहीं” अंकित करें।
8.3	“खनन क्षेत्र भूकम्प के Seismic Zone-IV में अवस्थित है परन्तु कोई स्थायी निर्माण न होने के कारण कोई खतरा नहीं है” अंकित करें। बाढ़ की समस्या यदि है तो अंकित करें।

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality.

क्रमांक	अंकित किए जाने वाली सूचना के संबंध में अनुदेश
9.1	“लागू नहीं” अंकित करें।
9.2	“लागू नहीं” अंकित करें।
9.3	“लागू नहीं” अंकित करें।
9.4	“लागू नहीं” अंकित करें।

III. Environmental Sensitivity (पर्यावरण सेन्सेविलिटी)

क्रमांक	अंकित किए जाने वाली सूचना के संबंध में अनुदेश
1.	यदि इकाई क्षेत्र किसी अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कनवेंशन के तहत अथवा स्थानीय नियम के तहत विशेष प्रयोजन हेतु से चिन्हित हो अथवा किसी सांस्कृतिक महत्व का हो तो उससे संबंधित सूचना अंकित करें अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
2.	पर्यावरणीय कारणों यथा-आद्र भूमि/तटीय क्षेत्र, पहाड़, वन, जल प्रवाह आदि के महत्व का हो तो सूचना अंकित करें अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
3.	यदि इकाई क्षेत्र किसी संरक्षित फ्लोरा/फौना के प्रवास के रूप में चिन्हित हो तो उससे संबंधित सूचना अंकित करें अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
4.	यदि इकाई क्षेत्र किसी सतह जल/तटीय/समुद्री अथवा भूगर्बीय जल स्रोत के मार्ग में हो तो उससे संबंधित सूचना अंकित करें अथवा “लागू नहीं” अंकित करें।
5.	यदि इकाई क्षेत्र किसी राज्य/देश की सीमा के पास हो तो उससे संबंधित सूचना अंकित करें अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
6.	यदि इकाई क्षेत्र किसी पर्यटन क्षेत्र अथवा तीर्थस्थान के मार्ग में हो तो उससे संबंधित सूचना अंकित करें। अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
7.	यदि इकाई क्षेत्र किसी रक्षा संस्थान/संरचना के नजदीक हो तो उससे संबंधित सूचना अंकित करें अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
8.	यदि इकाई क्षेत्र किसी गहन आवासीय क्षेत्र में हो तो उससे संबंधित सूचना अंकित करें अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
9.	यदि इकाई क्षेत्र किसी हॉस्पिटल/स्कूल/पूजा स्थल/सामुदायिक स्थल के करीब हो तो उससे संबंधित सूचना अंकित करें अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
10.	यदि इकाई क्षेत्र किसी भूगर्बीय जल-स्रोत क्षेत्र/सतह जल-स्रोत/वन क्षेत्र/खेती/मत्स्य क्षेत्र/मिनरल क्षेत्र के नजदीक हो तो उससे संबंधित सूचना अंकित करें अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
11.	यदि इकाई क्षेत्र किसी ऐसे स्थान में प्रस्तावित हो जहां पूर्व से ही पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या विद्यमान हो तो उससे संबंधित सूचना अंकित करें अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
12.	यदि इकाई क्षेत्र ऐसे क्षेत्र में जहां भूकम्प, भूमि-धसान, लैंड-स्लाइड, मृदा-क्षरण अथवा बाढ़ से प्रभावित हो तो उससे संबंधित सूचना अंकित करें अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।

Pre Feasibility report बनाने हेतु सामान्य अनुदेश ।

क्रमांक		
1.0	प्रस्तावना	
1.1	इकाई का स्थान	इकाई जहां प्रस्तावित है, उस स्थान, गांव, जिला आदि के संबंध में पूर्ण विवरण अंकित करें।
1.2	क्षमता	इकाई में ईंटों के निर्माण हेतु प्रस्तावित खनन क्षमता अंकित करें।
1.3	को-मेटेरियल	मूलतः मिट्टी एवं बालू का उपयोग होगा, अंकित करें। यदि अन्य सामग्री उपयोग किया जाना हो तो सूचना अंकित करें।
1.4	पर्यावरणीय सुरक्षा	पर्यावरण के सुरक्षा हेतु किए जाने वाले उपायों को दर्शाया जाए।
1.5	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	यदि इकाई क्षेत्र में कोई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रस्ताव हो तो सूचना अंकित करें अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
1.6	योजना लागत	इकाई स्थापना हेतु प्रस्तावित लागत अंकित करें।

योजना विवरणी

क्रमांक		
2.1	इकाई प्रस्तावक एवं इकाई की विवरणी	प्रस्तावक एवं इकाई की सूचना अंकित करें।
2.2	योजना का संक्षिप्त विवरणी	संक्षिप्त विवरणी जिसमें क्रियाकलाप की विवरणी हो, अंकित करें।
2.3	योजना की आवश्यकता एवं क्षेत्र के लिए उपयोगिता	योजना क्यों जरूरी है? क्या लाभ क्षेत्र को होगा? अंकित करें।
2.4	आवश्यकता एवं पूर्ति में अन्तर	योजना लागू होने से बनने वाले सामान के आवश्यकता एवं पूर्ति में क्या बदलाव आएगा, अंकित करें।
2.5	आयात बनाम स्थानीय निर्माण	योजना में आयात का प्रावधान है अथवा स्थानीय निर्माण का, अंकित करें।
2.6	निर्यात संभावना	अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
2.7	स्थानीय बाजार एवं रोजगार	योजना से निर्मित सामान के स्थानीय बाजार एवं सृजित होने वाले रोजगार से संबंधित सूचना अंकित करें।

साईट एनालिसिस

क्रमांक		
3.1	कनक्टीवीटी	इकाई क्षेत्र का विभिन्न स्थानों जिला मुख्यालय, रेल हेड आदि से दूरी संबंधित सूचना अंकित करें।
3.2	भूमि का प्रकार एवं वर्तमान उपयोग	कृषि अथवा किसी अन्य कार्य हेतु इकाई क्षेत्र का उपयोग हो रहा है, अंकित करें। खनन क्षेत्र किसी वन क्षेत्र/बायोएसफेडर रिजर्व/नेशनल पार्क/आश्रयणी से कितनी दूरी है, सूचना अंकित करें।
3.3	टोपोग्राफी	इकाई क्षेत्र पहाड़/समतल/दलान में है तो सूचना अंकित करें।
3.4	मिट्टी वर्गीकरण	इकाई क्षेत्र की मिट्टी किस प्रकार की है। इस संबंध में सूचना अंकित करें। जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय से सहायता ली जा सकती है।
3.5	जलवायु आंकड़ा	इकाई क्षेत्र में न्यूनतम/अधिकतम तापमान, वर्षा से संबंधित आंकड़ा अंकित करें। जिला सांख्यिकी कार्यालय से सहायता ली जा सकती है।
3.6	सामाजिक संरचना	खनन क्षेत्र के आस-पास स्कूल/हेल्थ सेंटर/बिजली/बिजली सब स्टेशन/बैंक/पोस्ट-ऑफिस/ भेटनरी सेंटर आदि से संबंधित सूचना अंकित करें।
3.7	जनसंख्या वृद्धि	इकाई के कारण क्षेत्र में होने वाले संभावित जनसंख्या वृद्धि की सूचना अंकित करें अन्यथा “लागू नहीं” अंकित करें।
3.8	प्रस्तावित सुविधाएँ	योजना क्षेत्र में कार्य होने पर उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाएँ अंकित करें।
3.9	ऊर्जा की आवश्यकता	इकाई क्षेत्र में ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं से संबंधित सूचना अंकित करें।
3.10	इकाई शिड्यूल एवं लागत	इकाई के शुरूआत एवं समाप्ती का समय-सारणी एवं आने वाला खर्च, अंकित करें।
3.11	अभियुक्ति	इकाई की आवश्यकता एवं उससे होने वाले लाभ का विवरणी देते हुए अंतिम अभियुक्ति, अंकित किया जा सकता है।